भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

No. E(NG)II/2024/RR-1/2Part **New Delhi, dated 20.11.2026**

The General Managers (P),
All Zonal Railways & Production Units,
Chairperson/All Zonal RRBs.

Sub: Introduction of Technical Entry Scheme (TES) for induction to the post of Senior Section Engineer (SSE) in Pay Level-7 of the 7th CPC Pay Matrix in Civil, Electrical, Mechanical and Signal & Telecom Engineering Departments in Indian Railways.

The Board has decided to introduce a Technical Entry Scheme (TES) for induction to the post of Senior Section Engineer (SSE) in Pay Level-7 of 7th CPC Pay Matrix in Civil, Electrical, Mechanical and Signal & Telecom Engineering Departments of Indian Railways. The scheme envisages a structured entry route for young candidates possessing the requisite academic qualifications and a valid JEE (Main) rank, followed by specialized engineering education at Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV) and departmental training, with a view to developing technically proficient manpower suited to the specific requirements of the Railway system.

Details of the scheme along with the mode of entry, eligibility conditions and other particulars of the scheme are as under:

The details of the Technical Entry Scheme (TES) for induction to the post of Senior Section Engineer (SSE) in Pay Level-7 of 7th CPC Pay Matrix in Civil, Electrical, Mechanical and Signal & Telecom Engineering Departments Indian Railways are as follows: -

1. Eligibility Conditions for TES

(i) A person should be a citizen of India as per rules for employment in Government of India,

(ii) A person should be between 17 years and 24 years with prescribed relaxations for specified categories (as on 1st July of the admission year).

(Note: As per the scheme for JEE(Main), candidates are allowed to take the exam only in three consecutive years, irrespective of whether they actually appear for the exam or otherwise, with the year in which they pass the Class XIIth exam being counted as the first year.)

(iii) A person should be Class 12th (10+2 Scheme) passed with Physics, Chemistry and Mathematics as subjects from a recognized Central/State Government Board or its equivalent,

(iv) A person should be having a valid JEE (Mains) Rank issued by the National Testing Agency (NTA) for the current admission year. For example, the better of the two JEE (Main) scores/ranks obtained by a candidate in the year 2027 will be considered for shortlisting of applicants for Common entrance Test (CET) for admission at GSV for the academic session 2027-28, and JEE (Main) scores/ranks from previous years will not be considered.

(v) A person should be fit in Medical Classification A-3 as per Indian Railway Medical Manual (IRMM).

2. Size of Intake in the TES:-

(i) The intake under this scheme shall be decided as 5% of vacancies in the cadre of SSE or Training Capacity of the GSV, whichever is less.

(ii) The size of the intake every year shall be decided by the Railway Board on the basis of indents of all Railways/PUs.

3. **Reservation:-** Reservation to SC/ST/OBC(NCL)/EWS and PwBD shall be available as per Railway Rules.

4. Details of joining TES:-

(i) An eligible person should apply online in response to a notification issued by the designated RRB,

(ii) The applicants would be required to opt for a subject of Special Course in GSV in descending order of preference,

(iii) All applicants shall be arranged in a descending order of their valid JEE (Mains) Rank issued by the NTA and shortlisting of applicants for CET (Common Entrance Test) shall be done by calling up to the 90th Percentile Rank of all applicants or 15 times the number of all slots notified in the notification, whichever is less. Additional applicants from SC/ST/OBC/EWS categories may be called to complete the shortfall to the extent of 15 times of each community's share of slots in case sufficient applicants from a particular community do not find place in the shortlist.

(iv) The shortlisted applicants shall be called to appear in a Computer Based Entrance Test and on qualifying the CET they shall be admitted to the 4-year Special Course in GSV in a subject allotted based on sequential assignment of subject of their preference based on their final merit in CET and availability of slots.

5. **Qualifying Criteria:-** As per Merit obtained in the Common Entrance Test (CET). Prescribed relaxations to the reserved categories shall be applicable. Minimum Qualifying marks to be 20% for all categories.

6. **Designated RRB:** - One of the RRBs shall be designated by the Railway Board to arrange for processing of the indents, issue of notification, holding of CET through ECA including Application Management and conduct of the examination, preparation of result and Merit List, conduct of DV, Medical Examination and allotment of subject seat in the special course in GSV.

7. **Special Course:-**

(i) On passing the CET, the candidates will be subjected to Document Verification (DV) and Medical Examination by the designated RRB. On clearing the DV and Medical Examination, the candidates shall have to execute a mandatory prescribed Bond before commencement of the course and thereafter the special course of 4-year duration shall be offered in the following subjects by the GSV which will be equivalent to a 4-year regular B.Tech course awarded by the GSV -

(a) Civil Engineering with specialisation in Rail Engineering,

(b) Electrical Engineering with specialisation in Rail Engineering,

(c) Mechanical Engineering with specialisation in Rail Engineering,

(d) Electronics & Communication Engineering with specialisation in Rail Engineering.

(ii) The curriculum, Academic Course Content, Qualifying Criteria for the Course, model conduct of the student in the campus during the course, Tuition Fee and Hostel Charges and mode of their payment shall be as per GSV norms and the terms & conditions of the MoU/Agreement entered between GSV and the Ministry of Railways. The expenditure for the Special course on each student as agreed between GSV and Ministry of Railways shall be borne by the Railways. The students, after finally qualifying the Special Course, would be awarded a degree in the concerned Engineering subject equivalent to BE/B Tech Degree from GSV. Those who fail to honour the conditions of the prescribed mandatory Bond would be liable to pay the Bond amount.

(iii) After completion of Special Course at GSV and before being sent for training, the candidate would be liable to undergo and pass a fresh Medical Examination and Document Verification.

(iv) If, after successful completion of the Special Course at GSV, a candidate is selected for a higher post under the Central Government, he/she may be exempted from payment of the bond amount.

(v) If a candidate fails to complete the Special Course at GSV within the prescribed period, the candidate shall bear the entire expenses incurred for the extended period of the course.

8. Appointment in Railways:-

(i) The candidates on successful completion of the Special Course from GSV and otherwise being found suitable, would be allotted a Railway/PU to be appointed on the post of SSE in Pay Level-7 of 7th CPC in the relevant Department against direct recruitment vacancies subject to their successfully completing the initial Railway Training. The allotment of Cadre/post and Railway/PU shall be based on the performance in the special course in GSV and preferences of the candidate as per modalities as may be prescribed by the Railway Board from time to time.

(ii) On reporting to their allotted Railways/PUs, these candidates shall be sent for an initial Railway Training prescribed for the direct recruits (as apprentices) for the post of SSE in Railway Training Institutes for a period of 12 months as is prescribed for direct recruitment in that department.

(iii) For the duration of this initial training in Railway Training Institutes for the post of SSE, the candidates shall receive a monthly stipend as applicable in the case of other directly recruited candidates from the open market, viz. apprentices. The passing of this initial training for SSE post shall be mandatory for appointment.

(iv) On successful completion of this initial training (apprenticeship) the candidates will be posted on the relevant working post of SSE as per their initial posting orders and start drawing a regular pay in the Pay Level-7. They shall have two years of probation period on the working post of SSE at par with other direct recruits.

(v) The Date of Appointment of the appointees through the Technical Entry Scheme shall be the date of commencement of the two-year probation period on the post of SSE after joining the working post on successful completion of the initial railway training as is the case with other directly recruited candidates and not the date of commencement of the Special Course in GSV.

(vi) The seniority of these candidates shall be decided in the SSE cadre as per normal rules and regulations governing determination of seniority of a direct recruit SSE from open market after completion of initial training.

(vii) If a candidate does not complete the Special Course at GSV within the prescribed duration and requires additional time for completion, he/she shall not be eligible for appointment in the Railways until successful completion of the course followed by one-year initial Railway training. Further, such a candidate shall have no claim for seniority (or any other benefit) vis-a-vis his/her original batch mates at GSV who are appointed earlier by virtue of completing the Special Course within the prescribed period.

9. The examination pattern and Syllabus for COMMON ENTRANCE TEST (CET) shall be as per Annexure – I.

(U.K Tiwari)
Director, Estt.(N)
Railway Board

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Railway Board.
5. The Secretary General, IRPOF, RoomNo.268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The General Secretary, AIRPF Association, RoomNo.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Non-Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
12. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), New Delhi.

For Principle Executive Director (IR)/ Railway Board

Copy to:

PS to MR, MOSR,

PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(lnfra.), M(T&RS), M(O&BD), DG/HR, DG/RHS, DG/RPF, DG/Safety, Secretary/Railway Board

PPSs to AM(Comml), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget),AM(F), AM(Mech), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(RS), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), PED(HR), PED(Vig.), PED(Infra), PED(IR), PED(Safety), PED(PC), PED/E(NG)

ED/Trg., ED (MPP), ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDME(W), EDERS(G), EDE(Res), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)I, DE(R), DE(D&A), DE(LL), DE(RRB), DE-II(RRB)

JD(OL), JDE(Rep.), DD(Code Revision),DDE(LR)I, DDE(LR), DDE(LR)III, DDE(GR)II, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)I, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT)II, E(RRB), PC-VII, C-VI, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, EG(RR), CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/c-III and Code Revision Cell.

Annexure-I

COMMON ENTRANCE TEST (CET) - Examination Pattern and Syllabus

(a) Examination Pattern

(i) Nature of examination: All India based Single Stage Open Competitive Computer/Tablet mode Examination.

(ii) Nature of Question Paper: Multiple Choice Questions type Question Paper having maximum 100 questions, each question with four choices out of which one choice shall be the correct answer.

(iii) Marking System: Total Maximum Marks for the Question Paper shall be 100. Each MCQ shall be of one mark and one mark shall be deducted from the total marks obtained on giving three wrong answers.

(iv) Parts of Question Paper: The Question Paper shall have two parts -

- Part A - General Aptitude - 60 questions maximum,
- Part B - Domain Knowledge (Physics, Chemistry & Maths) - 40 questions maximum.

(v) Duration of the Examination: 120 Minutes Maximum.

(vi) Difficulty Level Matrix: The difficulty level matrix of the Question Paper would be 40%, 30% and 30% for Difficult, Moderate and Easy Levels respectively.

(vii) Medium of Examination: English and Hindi and other languages as is applicable in a common entrance examination for University admission.

(viii) Final Merit in CET: In descending order of total marks obtained out of 100 marks in CET after deducting the negative marks accumulated for the wrong answers as per the prescribed marking system. In case of tie of total marks obtained the merit shall be decided on the basis of date of birth, elder being given higher place in merit.

(b) Syllabus for Examination

(i) Part A - General Aptitude

General Mental Ability, Numerical Ability, Quantitative Reasoning (Simple applications of basic Mathematical concepts, Arithmetic, Algebra, Geometry, Mensuration & Statistics), Logical & Analytical Reasoning, General Knowledge & Current Affairs.

(ii) Part B - Domain Knowledge

As per Syllabus of 12th class fixed by NCERT in Physics, Chemistry & Mathematics subjects.

आरबीई सं.104/2026

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई(एनजी)II/2024/आरआर-1/2पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक 20.11.2026**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
अध्यक्ष/सभी क्षेत्रीय रेल भर्ती बोर्ड

विषय: भारतीय रेल में सिविल, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक और सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी विभागों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई) के पद पर भर्ती के लिए तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) को शुरू करने के संबंध में।

बोर्ड दवारा भारतीय रेल के सिविल, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक और सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी विभागों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे-मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई) के पद पर भर्ती के लिए तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और वैध जेईई (मेन) रैंक वाले युवा अभ्यर्थियों के लिए एक संरचित प्रवेश मार्ग की परिकल्पना की गई है, जिसके पश्चात रेलवे प्रणाली की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी रूप से कुशल जनशक्ति विकसित करने के उददेश्य से गति शक्ति विश्वविदयालय (जीएसवी) में विशेष इंजीनियरी शिक्षा और विभागीय प्रशिक्षण शामिल है।

<u>प्रवेश की विधि, पात्रता की शर्तों और योजना के अन्य ब्यौरों के साथ योजना का ब्यौरा निम्नानुसार है:</u>

भारतीय रेल के सिविल, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक और सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी विभागों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (एसएसई) के पद पर भर्ती के लिए तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. **<u>तकनीकी प्रवेश योजना के लिए पात्रता</u>**

(i) अभ्यर्थी को भारत सरकार में रोजगार के नियमों के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए,

(ii) अभ्यर्थी की आयु 17 वर्ष से 24 वर्ष के बीच (विशिष्ट कोटियों के लिए निर्धारित छूट सहित) होनी चाहिए (प्रवेश वर्ष की स्थिति अनुसार 1 जुलाई को) होनी चाहिए।

(नोट: <u>जेईई (मेन) के लिए योजना</u> के अनुसार, अभ्यर्थियों को केवल लगातार तीन वर्षों में परीक्षा देने की अनुमति है, चाहे वे वास्तव में परीक्षा के लिए उपस्थित हों या नहीं, जिस वर्ष वे कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उसे पहले वर्ष के रूप में गिना जाए।)

(iii) अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त केंद्र/राज्य सरकार बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ कक्षा 12$^{वीं}$ (10+2 योजना) या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए,

(iv) अभ्यर्थी के पास वर्तमान प्रवेश वर्ष के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) दवारा जारी वैध जेईई (मेन्स) रैंक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, वर्ष 2027 में अभ्यर्थी दवारा प्राप्त दो जेईई (मेन्स) अंकों/रैंकों में से बेहतर को शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जीएसवी में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) के लिए आवेदकों के चयन के लिए माना जाएगा, और पिछले वर्षों के जेईई (मेन्स) अंकों/रैंकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) अभ्यर्थी को भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के अनुसार चिकित्सा वर्गीकरण ए-3 के अनुसार स्वस्थ होना चाहिए।

2. **<u>तकनीकी प्रवेश योजना में शामिल करने का आकार:-</u>**

(i) सीनियर सेक्शन इंजीनियर के संवर्ग में इस योजना के अंतर्गत 5% रिक्तियां या गति शक्ति विश्वविदयालय की प्रशिक्षण क्षमता, जो भी कम हो, के आधार पर शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा।

(ii) प्रत्येक वर्ष भर्ती की संख्या सभी रेलों/उत्पादन इकाइयों के माँग-पत्र के आधार पर रेलवे बोर्ड दवारा तय की जाएगी।

3. **<u>आरक्षण:-</u>** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर रहित)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण रेल नियमों के अनुसार उपलब्ध होगा।

4. **<u>तकनीकी प्रवेश योजना में शामिल होने का विवरण:-</u>**

(i) पात्र व्यक्ति को नामित रेल भर्ती बोर्ड दवारा जारी की गई अधिसूचना के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए,

(ii) आवेदकों को गति शक्ति विश्वविदयालय में विशेष पाठयक्रम के विषय का चुनाव वरीयता के घटते क्रम में करना होगा,

(iii) सभी आवेदकों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी दवारा जारी उनके मान्य जेईई (मेन्स) रैंक के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदकों का चयन, 90 प्रतिशत रैंक तक के सभी आवेदकों को बुलाकर या अधिसूचना में अधिसूचित की गई कुल सीटों की संख्या के 15 गुना तक की संख्या जो भी कम हो, किया जाएगा। यदि किसी विशेष समुदाय से पर्याप्त आवेदक चयन सूची में जगह नहीं बना पाते हैं,

तो उस समुदाय के लिए तय सीटों के 15 गुना तक की कमी को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमी लेयर रहित)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटि के अतिरिक्त आवेदकों को बुलाया जा सकता है।

(iv) चुने गए आवेदकों को कंप्यूटर-आधारित प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा और कंप्यूटर-आधारित प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद, उन्हें गति शक्ति विश्वविदयालय में 4 वर्ष के विशेष पाठयक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें कौन-सा विषय मिलेगा, यह कंप्यूटर-आधारित प्रवेश परीक्षा में उनकी अंतिम मेरिट और सीटों की उपलब्धता के आधार पर, उनकी पसंद के विषयों को क्रम से आवंटित करके तय किया जाएगा।

5. **<u>अर्हता मानदंड:-</u>** सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) में प्राप्त मेरिट अनुसार, आरक्षित कोटियों के लिए निर्धारित छूट लागू होगी। सभी कोटियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 20% होंगे।

6. **<u>नामित रेलवे भर्ती बोर्ड:-</u>** रेलवे बोर्ड दवारा रेल भर्ती बोर्डों में से किसी एक को मांग पत्र की प्रक्रिया, अधिसूचना जारी करने, परीक्षा नियंत्रण प्राधिकरण के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने, आवेदन प्रबंधन और परीक्षा का संचालन, परिणाम और मेरिट सूची तैयार करना, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा आयोजित करना तथा गतिशक्ति विश्वविदयालय में विशेष पाठयक्रम में विषय सीट का आवंटन करना सम्मिलित है, के लिए नामित किया जाएगा।

7. **<u>विशेष पाठ्यक्रम:-</u>**

(i) सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, नामित रेल भर्ती बोर्ड दवारा अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षण के अधीन होगा। दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण में सफल होने पर, अभ्यर्थियों को पाठयक्रम प्रारंभ होने से पहले अनिवार्य निर्धारित बॉन्ड निष्पादित करना होगा और उसके बाद गतिशक्ति विश्वविदयालय दवारा निम्नलिखित विषयों में 4-वर्ष की अवधि का विशेष पाठयक्रम प्रदान किया जाएगा, जो गतिशक्ति विश्वविदयालय दवारा प्रदान किए जाने वाले 4-वर्षीय नियमित बी. टेक पाठयक्रम के समकक्ष होगा।

(क) रेल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरी,

(ख) रेल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी,

(ग) रेल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ यांत्रिक इंजीनियरी,

(घ) रेल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार इंजीनियरी।

(ii) पाठयक्रम, शैक्षणिक पाठयक्रम सामग्री, पाठयक्रम के लिए अर्हता मानदंड, पाठयक्रम के दौरान परिसर में छात्र का आचरण, शिक्षण शुल्क और छात्रावास शुल्क तथा उनके भुगतान का तरीका गतिशक्ति विश्वविदयालय के मानदंडों और गतिशक्ति विश्वविदयालय तथा रेल मंत्रालय के बीच किए गए समझौता ज्ञापन/समझौते के नियमों एवं शर्तों के अनुसार होगा। प्रत्येक छात्र पर विशेष पाठयक्रम के लिए होने वाला व्यय, जैसा कि गतिशक्ति

विश्वविदयालय और रेल मंत्रालय के बीच सहमति हुई है, रेलवे दवारा वहन किया जाएगा। विशेष पाठयक्रम में अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त करने के बाद छात्रों को गतिशक्ति विश्वविदयालय से संबंधित इंजीनियरिंग विषय में बीई/बी टेक डिग्री के समकक्ष डिग्री प्रदान की जाएगी। जो लोग निर्धारित अनिवार्य बॉन्ड की शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं, वे बॉन्ड राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iii) गतिशक्ति विश्वविदयालय में विशेष पाठयक्रम पूर्ण करने के बाद और प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पहले, अभ्यर्थी को पूनः नई चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन से गुजरना और उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(iv) यदि गतिशक्ति विशवविदयालय में विशेष पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद किसी अभ्यर्थी का चयन केंद्र सरकार के अधीन उच्च पद के लिए होता है, तो उसे बांड राशि के भुगतान से छूट दी जा सकती है।

(v) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में गति शक्ति विश्वविदयालय में विशेष पाठयक्रम पूरा करने में असफल रहता है, तो अभ्यर्थी को पाठयक्रम की बढ़ी हुई अवधि के लिए हुए सभी खर्च स्वयं वहन करने होंगे।

8. <u>रेलों में नियुक्ति:-</u>

(i) जो अभ्यर्थी गति शक्ति विश्वविदयालय से विशेष पाठयक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं और अन्यथा उपयुक्त पाए जाते हैं, उन्हें सीधे भर्ती की रिक्तियों पर संबंधित विभाग में 7वें वेतन आयोग पे-मैट्रिक्स के वेतन स्तर -7 में एसएसई के पद पर नियुक्ति के लिए रेलवे/उत्पादन इकाई आवंटित किया जाएगा, बशर्ते वे प्रारंभिक रेलवे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लें। संवर्ग/पद और रेलवे/उत्पादन इकाई का आवंटन गति शक्ति विश्वविदयालय में विशेष पाठयक्रम में प्रदर्शन और अभ्यर्थी की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा, जैसा रेलवे बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करें।

(ii) अपने निर्धारित रेलवे/उत्पादन इकाई में रिपोर्ट करने पर, इन अभ्यर्थियों को रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद के लिए प्रत्यक्ष भर्ती (अप्रेंटिस के रूप में) के लिए निर्धारित 12 माह की अवधि के प्रारंभिक रेलवे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जो उस विभाग में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निर्धारित है।

(iii) रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पद के लिए इस प्रारंभिक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, अभ्यर्थियों को मासिक स्टाइपेंड मिलेगा, जैसा कि अन्य सीधे भर्ती किए गए अभ्यर्थियों, अर्थात अप्रेंटिस के मामले में लागू होता है। अभ्यर्थियों के लिए इस प्रारंभिक प्रशिक्षण को पूरा करना नियुक्ति के लिए अनिवार्य होगा।

(iv) इस प्रारंभिक प्रशिक्षण (अप्रेंटिसशिप) को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, अभ्यर्थीयों को उनकी प्रारंभिक तैनाती आदेशों के अनुसार सीनियर सेक्शन इंजीनियर के संबंधित कार्य पद पर तैनात किया जाएगा और वे पे लेवल-7 में नियमित वेतन लेना शुरू करेंगे। उनकी परिवीक्षा अवधि अन्य प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों के समान सीनियर सेक्शन इंजीनियर के कार्य पद पर दो वर्ष की होगी।

(v) तकनीकी प्रवेश योजना के माध्यम से नियुक्त किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति की तारीख वह तारीख होगी जब वे प्रारंभिक रेलवे प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात कार्य के पद पर शामिल होने के बाद सीनियर

सेक्शन इंजीनियर के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि शुरू करेंगे, जैसे अन्य सीधे भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के मामले में होता है, और यह गति शक्ति विश्वविदयालय में विशेष पाठयक्रम की शुरुआत की तारीख नहीं होगी।

(vi) इन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सीनियर सेक्शन इंजीनियर संवर्ग में सामान्य नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जो खुले बाजार से सीधे भर्ती किए गए वरिष्ठ खण्ड अभियन्ता की प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वरिष्ठता निर्धारित करने को शासित करते हैं।

(vii) अगर कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में गति शक्ति विश्वविदयालय में विशेष पाठयक्रम पूरा नहीं कर पाता है और इसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, तो वह रेलवे में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा न हो जाए और उसके बाद एक वर्ष का प्रारंभिक रेलवे प्रशिक्षण पूरा न हो जाए। इसके अलावा, ऐसा अभ्यर्थी अपने मूल गति शक्ति विश्वविदयालय बैच के साथियों के मुकाबले वरिष्ठता (या कोई अन्य लाभ) का हकदार नहीं होगा, जो समय पर विशेष पाठयक्रम पूरा करके पहले नियुक्त होते हैं।

9. सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा का पैटर्न और पाठयक्रम अनुलग्नक-I के अनुसार होगा।

(यू.के. तिवारी)
निदेशक, स्थापना(एन)
रेलवे बोर्ड

<u>प्रतिलिपि:</u>

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं .256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं .268, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
6. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, रेलवे बोर्ड नॉन-मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससीएसटी रेलवे इम्लाएसोसइज़ एसोसिएशन/, रेल भवन, नई दिल्ली

12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे इम्लाएसोसइज़ फेडरैशन (एआईओबीसीआरईएफ), रेल भवन, नई दिल्ली

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.सं.)/ रेलवे बोर्ड

<u>प्रतिलिपि</u>:

रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री के **निजी सचिव**

अनुलग्नक-I

सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) - परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम

(क) परीक्षा का स्वरूप

(i) परीक्षा की प्रकृति: अखिल भारतीय स्तर पर आधारित एकल चरण खुली प्रतियोगी कंप्यूटर/टैबलेट मोड परीक्षा।

(ii) प्रश्न-पत्र की प्रकृति: बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार का प्रश्न-पत्र, जिसमें अधिकतम 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे, जिनमें से एक विकल्प सही उत्तर होगा।

(iii) अंकन प्रणाली: प्रश्न-पत्र के कुल अधिकतम अंक 100 होंगे। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न एक अंक का होगा तथा प्रत्येक तीन गलत उत्तर देने पर प्राप्त कुल अंकों में से एक अंक काटा जाएगा।

(iv) प्रश्न-पत्र के भाग: प्रश्न-पत्र के दो भाग होंगे -

- भाग क - सामान्य अभिक्षमता - अधिकतम 60 प्रश्न,
- भाग ख - विषय-क्षेत्र ज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित) - अधिकतम 40 प्रश्न।

(v) परीक्षा की अवधि: अधिकतम 120 मिनट।

(vi) कठिनाई स्तर मैट्रिक्स: प्रश्न-पत्र का कठिनाई स्तर मैट्रिक्स क्रमशः कठिन, मध्यम एवं सरल स्तरों के लिए 40%, 30% और 30% होगा।

(vii) परीक्षा का माध्यम: अंग्रेजी और हिंदी तथा विश्वविदयालय में प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा में यथा लागू अन्य भाषाएँ।

(viii) सामान्य प्रवेश परीक्षा में अंतिम मेरिट: निर्धारित अंकन प्रणाली के अनुसार गलत उत्तरों के लिए संचित ऋणात्मक अंकों को घटाने के पश्चात सामान्य प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों में से प्राप्त कुल अंकों के अवरोही क्रम में। प्राप्त कुल अंक बराबर होने की स्थिति में, मेरिट का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, जिसमें बड़ी आयु वाले अभ्यर्थी को मेरिट में उच्चतर स्थान दिया जाएगा।

(ख) परीक्षा का पाठ्यक्रम

(i) भाग क - सामान्य अभिक्षमता

सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, मात्रात्मक तर्कशक्ति (आधारभूत गणितीय अवधारणाओं, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति एवं सांख्यिकी के सरल अनुप्रयोग), तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएँ।

(ii) भाग ख - विषय-क्षेत्र ज्ञान

भौतिकी, रसायन् विज्ञान एवं गणित विषयों में एनसीईआरटी दवारा निर्धारित कक्षा 12 के पाठयक्रम के अनुसार।